न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 166/2017 दायरा दिनांक : 11.10.2017

उनवान

प्रेमलाल पुत्र श्री फूलचन्द, आयु 34 साल, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोटडा भगवान, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– ग्यारसी बाई पत्नी नामालुम, जाति लोधा, निवासी ग्राम सैकुड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

2– हेमलता पुत्री नामालुम, जाति लोधा, निवासी ग्राम सैकुड, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छीपाबडोद, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित श्री मदन लाल गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 12.02.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, छीपाबडोद के प्रकरण संख्या – 45/2015 निर्णय दिनांक 14.07.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा तहसीलदार

छीपाबडोद में पेश किया गया, जो अभी जैरकार है तथा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का निर्णय दिनांक 14.07.2015 को पारित किया गया, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वाके माल कोटडा भगवान, तहसील छीपाबडोद में आराजी खाता संख्या 41 की खसरा नम्बर 251 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 254 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 286 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 287 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 288 रकबा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 289 रकबा 16 बीघा 6 बिस्वा कुल किता 8 कुल रकबा 23 बीघा 12 बिस्वा में गोपाल पुत्र प्रभू, जाति लोधा का 1/96 हिस्सा मुताबिक जमाबंदी दर्ज है । खाता संख्या 121 की खसरा नम्बर 2 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 3 रकबा 15 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 32 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 33 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 245 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 247 रकबा 8 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 24 बीघा 9 बिस्वा मौजा कोटडा भगवान, तहसील छीपाबडोद में स्थित है जिसमें गोपाल पुत्र प्रभू, जाति लोधा, निवासी ग्राम कोटडा भगवान का 1/96 हिस्सा दर्ज है । खाता संख्या 203 की खसरा नम्बर 103 रकबा 2 बीघा, खसरा नम्बर 106 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 121 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 रकबा 3 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 369 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 370 रकबा 12 बिस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 19 बीघा 7 बिस्वा मौजा काल्पा जागीर, तहसील छीपाबडोद में अपीलांट का 1/24 हिस्सा दर्ज है । खाता संख्या 274 की खसरा नम्बर 122 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा में अपीलांट का 1/3 हिस्सा जमाबंदी के अनुसार दर्ज है । इसी प्रकार खाता संख्या 291 की खसरा नम्बर 97 रकबा 7 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 98 रकबा 18 बीघा कुल किता 2

कुल रकबा 25 बीघा 2 बिस्वा में अपीलांट का मुताबिक जमाबंदी हिस्सा 1/30 दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02. 2015 में प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थी के विरूद्ध कब्जे काश्त की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गई तथा नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसीलदार छीपाबडोद को प्रार्थी व अप्रार्थी के पक्ष में बाद जांच करने के लिए स्वतंत्र छोड़ा गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण के लिए अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित नहीं करने का फायदा उठाते हुए अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार छीपाबडोद के यहां नामान्तरकरण की कार्यवाही नहीं की गई तथा धोखे से न्यायालय के आदेश के विरूद्ध सरपंच ग्राम पंचायत काल्पा जागीर से सांठ–गांठ कर अपीलांट को सूचना दिये व सुने अपने नाम नामान्तरकरण दर्ज करवा लिया तथा गलत रूप से खुलवाया गया । नामान्तरकरण के आधार पर रेस्पोडेंट अपीलांट को अपने कब्जे काश्त की आराजी में काश्त करने में व्यवधान पैदा करने लगे है तथा वादग्रस्त आराजी में गोपाल के हिस्से को अपने नाम दर्ज कराने के आधार पर रहन बेचान करने की धमकी इत्यादि देने लगे हैं तथा बेचने पर आमादा हैं। चूंकि वादग्रस्त आराजी में गोपाल की खातेदारी की आराजी में उनके हकों की घोषणा कराकर बंटवारा कराने का प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार है तथा उक्त प्रकरण में तनकीयात, साक्ष्य इत्यादि कायम किये जाने के उपरान्त ही यह निर्णय लिया जा सकेगा कि आराजियात में किस का हक है तब तक रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखना अतिआवश्यक है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र कब्जे की यथास्थिति बनाये रखने का ही आदेश पारित किया है तथा नाम दर्ज कराने बाबत स्वंतत्र रखा है, जो सही नहीं है क्योंकि यदि वादग्रस्त आराजियात के स्वामित्व व हक हिस्से की घोषणा के बिना ही नाम दर्ज कर दिया गया तो नामित व्यक्ति उसे अन्यत्र रहन, बेचान कर देगा तथा भारित कर देगा तथा अन्य द्वारा भी बेचान कर दिया तो एक लम्बी श्रृखंला हो जाएगी । चूंकि उपरोक्त विवादित आराजी गोपाल के नाम खातेदारी में दर्ज थी परन्तु अप्रार्थी रेस्पोडेंट ने ग्राम पंचायत से मिली भगत कर गोपाल के नाम फर्जी इंतकाल खुलवाकर स्वयं को गलत

आधार पर मृतक की पत्नी व पुत्री बताकर नाम दर्ज करा लिया एवं कब्जा करने के लिए आमादा हैं तथा जबरन बेचान की धमकी भी दे रहे हैं । इस प्रकार उपरोक्त विवादित आराजी के सम्बन्ध में दिया गया निर्णय सही नही होने से यह अपील पेश की गई है तथा न्यायालय से निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी में वाद के निर्णय तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित करें । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपील स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली एवं दस्तावेजों का अध्ययन व अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार अधीनस्थ

न्यायालय ने प्रार्थी एवं अप्रार्थी को मौके पर आराजियात की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया तथा नामान्तरकरण खोलने के लिए तहसीलदार को बाद जांच कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नामान्तरकरण के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण खोलने की कार्यवाही सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा की गई है जिसमें खातेदार के वारिसों के सम्बन्ध में कोई जांच इत्यादि नहीं की गई है । चूंकि उपरोक्त दावा खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं टाईटल के विवाद को लेकर है जिसमें अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य वाद अधीनस्थ न्यायालय में जैरकार हैं । चूंकि टाईटल का विवाद होने से उपरोक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही तहसीलदार के स्तर पर पूर्ण जांच कर की जानी चाहिए थी परन्तु उक्त नामान्तरकरण सरपंच के स्तर पर बिना किसी वसीयत एवं अन्य दस्तावेजी साक्ष्य के जांच किये खोल दिया गया है, जो अधीनस्थ न्यायालय के आदेशों का भी उल्लंघन है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2015 में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विवादित आराजी के दावे के निर्धारण तक ताफैसला दावा मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति दोनों पक्षकार अर्थात् अपीलांट एवं रेस्पोडेंट बनाये रखे तथा एक दूसरे के कब्जे काश्त में कोई दखलन्दाजी न स्वयं करें अथवा उनका कोई प्रतिनिधि करें

निर्णय आज दिनांक 12.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा